"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च 2017—फाल्गुन 19, शक 1938

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 फरवरी 2017

क्रमांक ई-1-1-2017/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एन. के. असवाल, भा.प्र.से. (1983), अपर मुख्य सचिव, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग तथा योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, महानिदेशक, छ.ग. प्रशासन अकादमी एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् अपर मुख्य सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए महानिदेशक, छ.ग. प्रशासन अकादमी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपता है.

2. श्री एस. के. कुजूर, भा.प्र.से. (1986), अपर मुख्य सचिव, ग्रामोद्योग विभाग तथा राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् अपने वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

3. श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से. (1992), प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् अपने वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपता है.

4. सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, भा.प्र.से. (2003), संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य खनिज विकास निगम को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य खनिज विकास निगम का अतिरिक्त कार्यभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2017

क्रमांक ई 7-01/2017/एक-2.—श्री प्रभात मलिक, भा.प्र.से., सहायक कलेक्टर, जिला-रायगढ़ को दिनांक 13-02-2017 से 22-02-2017 तक (10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 11 एवं 12 फरवरी, 2017 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मलिक, आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, जिला-रायगढ़ के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री मलिक को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मलिक अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2017

क्रमांक 269/435/2013/1-8/स्था.—श्रीमती दुर्गा देवांगन, अवर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग का दिनांक 05-08-2016 से 12-08-2016 तक 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा देवांगन आगामी आदेश तक अवर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती दुर्गा देवांगन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दुर्गा देवांगन अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

नया रायपुर, दिनांक 7 फरवरी 2017

क्रमांक 343/1656/2016/1-8/स्था.—श्रीमती आरती वासनिक, अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का दिनांक 18-07-2016 से 24-07-2016 तक 07 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती आरती वासनिक आगामी आदेश तक अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती आरती वासनिक को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती आरती वासनिक अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

नया रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2017

क्रमांक 363/53/2017/1-8/स्था.—श्री अतुल कुमार शुक्ल, सचिव, वन विभाग का दिनांक 20-02-2017 से 22-03-2017 तक 31 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अतुल कुमार शुक्ल आगामी आदेश तक सचिव, वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अतुल कुमार शुक्ल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अतुल कुमार शुक्ल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2017

क्रमांक 385/LV-1-5-2017/Jan./1-8/स्था.—श्री एस. के. सिन्हा, वरिष्ठ ग्रंथपाल, सामान्य प्रशासन विभाग (पुस्तकालय) को दिनांक 27-01-2017 से 08-02-2017 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. सिन्हा आगामी आदेश तक वरिष्ठ ग्रंथपाल, सामान्य प्रशासन विभाग (पुस्तकालय) के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एस. के. सिन्हा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. सिन्हा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2017

क्रमांक 407/64/2017/1-8/स्था.—श्रीमति नलिनी माथुर, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 18-01-2017 से 4-2-2017 तक 18 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमति नलिनी माथुर आगामी आदेश तक अवर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश अवधि में श्रीमति नलिनी माथुर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमति नलिनी माथुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

नया रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2017

क्रमांक 411/3533/अव./2014/1-8/स्था.—श्री ए. एच. युसुफी, लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (लेखा शाखा) को दिनांक 15-11-2016 से 18-11-2016 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ए. एच. युसुफी, आगामी आदेश तक में लेखाधिकारी के पद पर सामान्य प्रशासन विभाग (लेखा शाखा) में पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री युसुफी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री युसुफी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2017

क्रमांक 423/1314/अव./2012/1-8/स्था.—श्री पी. के. जनवदे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 20-09-2016 से 04-10-2016 तक 15 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जनवदे आगामी आदेश तक में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर सामान्य प्रशासन विभाग में पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री जनवदे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जनवदे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. राजपूत, अवर सचिव.

गृह-सी विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 09-78/गृह-सी/परीक्षा/2016.—इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 06-12-2016 के द्वारा दिनांक 03-08-2016 को आयोजित विभागीय परीक्षा प्रश्न पत्र "सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित)" विषय में सम्मिलित उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की सूची जारी की गई है. उक्त सूची में लिपिकीय त्रुटिवश परीक्षा केन्द्र सरगुजा (अम्बिकापुर) के अंतर्गत क्रमांक-35 में दर्शित श्री आशुतोष शर्मा, नायब तहसीलदार का नाम अंकित है, जिसे एतद्द्वारा परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर) पढ़ा जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवंत कुमार, संयुक्त सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2017

क्रमांक/एफ 01-11/2016/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री आर. के. टाम्टा (IFS-1982) प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड रायपुर को दिनांक 01-02-2017 से प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ रायपुर के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मंडल, प्रमुख सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 1-9/2016/16.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 15-09-2016 द्वारा स्वीकृत कार्यालय सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अंबिकापुर एवं कार्यालय सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जगदलपुर के क्षेत्राधिकार में निम्न राजस्व जिले सम्मिलित होंगे :—

कार्यालय का नाम	कार्यक्षेत्र
कार्यालय सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अंबिकापुर	सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया राजस्व जिले
कार्यालय सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जगदलपुर	बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, कांकेर, कोंडागांव राजस्व जिले.

No. 1-9/2016/16.—The Government of Chhattisgarh has sanctioned two new offices of Assistant Director Industrial Health and Safety at Ambikapur and Jagdalpur Vide Order No. F-1-9/2016/16 dated 15-09-2016. These two new offices would have jurisdiction over following revenue districts :—

Name of the Office	Jurisdiction
office of the Assistant Director Industrial Health and Safety, Ambikapur.	Surguja, Surajpur, Balrampur, Koriya revenue districts.
office of the Assistant Director Industrial Health and Safety, Jagdalpur.	Bastar, Dantewada, Sukma, Narayanpur, Bijapur, Kanker, Kondagaon revenue districts.

नया रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 10-1/2017/16.—कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा यह घोषित करती है कि उक्त अधिनियम के समस्त उपबंध, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर प्रत्येक ऐसे स्थान को जहां गन्ना प्रसंस्करण एवं गुड़ उत्पादन शक्ति की सहायता से या शक्ति की सहायता के बिना या सामान्यत: ऐसे चलाई जा रही हो, इस बात के होते हुए भी लागू होंगे कि :—

(एक) उसमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या, यदि शक्ति की सहायता से कार्य कर रहे हों तो दस से कम हो, और यदि शक्ति की सहायता के बिना कार्य कर रहे हो तो बीस से कम हो : या

(दो) उसमें कार्य करने वाले व्यक्ति उसके स्वामी द्वारा नियोजित न हो किन्तु ऐसे स्वामी की अनुज्ञा से या ऐसे स्वामी के साथ के करार के अधीन कार्य कर रहे हों :

परंतु विनिर्माण प्रक्रिया स्वामी द्वारा केवल उसके कुटुम्ब की सहायता से नहीं चलाई जा रही हो.

No. 10-1/2017/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 of the Factories Act 1948 (68 of 1948), the State Government hereby declares that all the provisions of the said Act shall apply to every place within the State of Chhattisgarh, wherein Sugar Cane processing and Jaggery manufacturing is carried on with or without the aid of power or is so ordinarily carried on, not withstanding that :—

(1) the number of persons employed there in is less than ten, if working with the aid of power and less than twenty if working without the aid of power, or

(2) the persons employed therein are not employed by the owner but working with permission or under an agreement with such owner.

Provided that the manufacturing process is not being carried on by the owner only with the aid of his family.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2017

क्रमांक/1962/21-अ/स्था./छ.ग./2017.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग के निम्नलिखित अधिकारी वर्ष, 2018 एवं 2019 में अपना अधिवार्षिकीय आयु 62 वर्ष पूर्ण करने के फलस्वरूप तालिका में अंकित अधिकारी के नाम के समक्ष स्तंभ क्रमांक 5 में उल्लेखित दिनांक से सेवानिवृत्ति किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम तथा पदनाम (2)	जन्मतिथि (3)	अधिवार्षिकी आयु (4)	सेवानिवृत्ति दिनांक (5)
1.	श्री टी. सी. त्रिपाठी, उप-सचिव	01-03-1957	28-02-2019	28-02-2019
2.	श्री राकेश्वर दयाल, अवर सचिव	01-01-1957	31-12-2018	31-12-2018

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रविशंकर शर्मा, प्रमुख सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2017

क्रमांक 2178/डी-34/21-अ/छ.ग./17.—छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 24 जनवरी, 2005 में यथा प्रकाशित छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्र. 25 सन् 2004) के अंग्रेजी पाठ में, पृष्ठ क्रमांक 38 (75) में, पंक्ति 40 में, शब्द "prior approval of the Kuladhipati" को "approval of the Kuladhipati" पढ़ा जाये.

No. 2178/D-34/XXI-A/C.G./17.—In the Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University Adhiniyam, 2004 (No. 25 of 2004) as published in the Chhattisgarh Gazette, Extra-ordinary, dated 24th January, 2005, in English version, at page 38 (75), in line 40, for "prior approval of the Kuladhipati", read "approval of the Kuladhipati".

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. त्रिपाठी, उप-सचिव.

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 10-3/2017/वा.कर(आब.)/पांच.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत् वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अधीन प्रस्तावित नवीन सार्वजनिक उपक्रम, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए तत्काल प्रभाव से, आगामी आदेश तक निम्नानुसार शेयर होल्डर्स नियुक्त करता है :—

क्र. (1)	शेयर होल्डर्स का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री विवेक ढाँड	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन एवं अध्यक्ष, छ.ग. स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड.
2.	श्री अमिताभ जैन	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं वाणिज्यिक कर विभाग एवं निदेशक, छ.ग. स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड.
3.	श्री ए. के. अग्रवाल	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी/पंजीयन) विभाग.
4.	श्री ए. पी. त्रिपाठी	विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग एवं संयुक्त प्रबंध निदेशक, छ.ग. स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड.
5.	श्री सतीश पाण्डेय	संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
6.	श्री मरियानुस तिग्गा	अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग
7.	श्री राघवेन्द्र कुमार	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 3 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 6-56/2016/वा.कर (आब.)/पांच.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के निम्नलिखित आबकारी उप निरीक्षकों को सहायक जिला आबकारी अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रुपये 9300-34800 ग्रेड वेतन रुपये 4300/- में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करते हुए उन्हें उनके नाम के समक्ष कॉलम-3 में दर्शाए गए स्थान पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

स. क्र. (1)	कर्मचारी का नाम, पदनाम तथा वर्तमान पदस्थापना (2)	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना (3)
1.	श्री राम नायक, आबकारी उप निरीक्षक, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला-महासमुंद.	सहायक जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला-महासमुंद.
2.	श्री राजेश तिवारी, आबकारी उप निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-बिलासपुर.	सहायक जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय उपायुक्त आबकारी, जिला-रायपुर.
3.	श्री रघुवीर सिंह राठौर, आबकारी उप निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-बिलासपुर.	सहायक जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-बिलासपुर.
4.	श्री जी.पी. प्रजापति, आबकारी उप निरीक्षक, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला-बालोद.	सहायक जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला-बालोद.
5.	श्री पी. के. शुक्ला, आबकारी उप निरीक्षक, कार्यालय आबकारी आयुक्त (रा.स्तर.उ.द.) रायपुर.	सहायक जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला-कबीरधाम.
6.	श्री इकबाल अहमद खान, आबकारी उप निरीक्षक, कार्यालय उपायुक्त आबकारी, जिला-रायपुर.	सहायक जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय उपायुक्त आबकारी, जिला-रायपुर.
7.	श्री व्ही.डी. मिश्र, आबकारी उप निरीक्षक, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला-धमतरी.	सहायक जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला-धमतरी.
8.	श्री चन्द्रहास यदु, आबकारी उप निरीक्षक, कार्यालय आबकारी आयुक्त (रा.स्तर.उ.द.) रायपुर.	सहायक जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-बिलासपुर.
9.	श्री राकेश कुमार गोस्वामी, आबकारी उप निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-जांजगीर-चांपा.	सहायक जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय उपायुक्त आबकारी, जिला-रायपुर.
10.	श्री सी. आर. साहू, आबकारी उप निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-दुर्ग.	सहायक जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-दुर्ग.
11.	श्री महेश्वर नारायण सिन्हा, आबकारी उप निरीक्षक, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला-धमतरी.	सहायक जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-बिलासपुर.
12.	श्री अजय कुमार धुर्वे, आबकारी उप निरीक्षक, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला-महासमुंद.	सहायक जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा.
13.	श्री चंदन सिंह चुरेन्द्र, आबकारी उप निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-दुर्ग.	सहायक जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-दुर्ग.

(1)	(2)	(3)
14.	श्री आदिकमल बंजारे, आबकारी उप निरीक्षक, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला-धमतरी.	सहायक जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला-कोण्डागांव.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदोन्नतियों में "छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003" की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-2/2003/1-3, दिनांक 26-11-2012 द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की स्थिति के संबंध में जारी किये गये रोस्टर तथा अन्य पूरक निर्देशों के अनुसार आरक्षण का पालन किया गया है.

3. उपरोक्त अधिकारियों की वरिष्ठता मूल संवर्ग में वरिष्ठता क्रम अनुसार ही रहेगी.

4. उपरोक्त पदोन्नति उपरांत पदस्थापना, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1-01/2016/एक/6, दिनांक 11 जून, 2016 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2016-17 की कंडिका 4.6 में प्राप्त अधिकारों के पालन में माननीय विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है.

नया रायपुर, दिनांक 3 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 6-58/2016/वा.कर (आब.)/पांच.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के निम्नलिखित सहायक जिला आबकारी अधिकारियों को जिला आबकारी अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रुपये 15600-39100+ग्रेड वेतन रुपये 5400/- में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष कॉलम-3 में दर्शाए गए स्थान पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम, पदनाम तथा वर्तमान पदस्थापना (2)	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना (3)
1.	श्री राजकिशोर तारम, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला-कोण्डागांव.	जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला-नारायणपुर.
2.	श्री सत्यनारायण सिंह, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला-मुंगेली.	जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला-बेमेतरा.
3.	श्री डी. के. राठौर, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-बिलासपुर.	जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय आबकारी आयुक्त (रा.स्त.उ.द.) रायपुर.
4.	श्री प्रदीप कुमार शर्मा, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय आबकारी आयुक्त, (रा.स्त.उ.द.) रायपुर.	जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय आबकारी आयुक्त, (रा.स्त.उ.द.) रायपुर.
5.	श्री सी. पी. नायक, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला-जशपुर.	जिला आबकारी अधिकारी, छ.ग. स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन, मंदिर हसौद गोदाम, रायपुर (प्रतिनियुक्ति पर).
6.	श्री मतीन अहमद कुरैशी, सहायक जिला आबकारी, कार्यालय, सहायक आयुक्त आबकारी, जिला-बिलासपुर.	जिला आबकारी अधिकारी, छ.ग. स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन, लिंगियाडीह गोदाम, बिलासपुर (प्रतिनियुक्ति पर)
7.	श्री अश्वनी कुमार अनंत, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला-सुकमा.	जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला-बीजापुर.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदोन्नतियों में ''छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003'' की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-2/2003/1-3, दिनांक 26-11-2012 द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की स्थिति के संबंध में जारी किये गये रोस्टर तथा अन्य पूरक निर्देशों के अनुसार आरक्षण का पालन किया गया है.

3. उपरोक्त अधिकारियों की वरिष्ठता मूल संवर्ग में वरिष्ठता क्रम अनुसार ही रहेगी.

4. श्री पी. के. नेताम, जिला आबकारी अधिकारी, जिला-दंतेवाड़ा को जिला-बीजापुर के अतिरिक्त प्रभार से एवं श्री नवीन प्रताम सिंह तोमर जिला आबकारी अधिकारी, जिला-कांकेर को जिला-नारायणपुर के अतिरिक्त प्रभार मुक्त किया जाता है.

5. उपरोक्त पदोन्नति उपरांत पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1-01/2016/एक/6, दिनांक 11 जून, 2016 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2016-17 की कंडिका 4.6 में प्राप्त अधिकारों के पालन में माननीय विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है.

नया रायपुर, दिनांक 3 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 6-59/2016/वा.कर (आब.)/पांच.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के निम्नलिखित जिला आबकारी अधिकारियों को सहायक आयुक्त आबकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रुपये 15600-39100 + ग्रेड वेतन रुपये 6600/- में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष कॉलम-3 में दर्शाए गए स्थान पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम, पदनाम तथा वर्तमान पदस्थापना (2)	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना (3)
1.	श्री लोलास बरला, जिला आबकारी अधिकारी, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा.	सहायक आयुक्त आबकारी, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा.
2.	श्री डी. आर. कुर्रे, जिला आबकारी अधिकारी, जिला-कोरिया	सहायक आयुक्त आबकारी, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला-कोरिया.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदोन्नतियों में ''छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003'' की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-2/2003/1-3, दिनांक 26-11-2012 द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की स्थिति के संबंध में जारी किये गये रोस्टर तथा अन्य पूरक निर्देशों के अनुसार आरक्षण का पालन किया गया है.

3. उपरोक्त अधिकारियों की वरिष्ठता मूल संवर्ग में वरिष्ठता क्रम अनुसार ही रहेगी.

4. उपरोक्त पदोन्नति उपरांत पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1-01/2016/एक/6, दिनांक 11 जून, 2016 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2016-17 की कंडिका 4.6 में प्राप्त अधिकारों के पालन में माननीय विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है.

नया रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2017

संशोधन

क्रमांक एफ 6-56/2016/वा.कर (आब.)/पांच.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 03-02-2017 द्वारा आबकारी उप निरीक्षक से सहायक जिला आबकारी अधिकारी के पद पर पदोन्नति आदेश जारी किए गए हैं.

2. अत: राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त आदेश के सरल क्रमांक-5 में अंकित श्री पी.के. शुक्ला, आबकारी उप निरीक्षक के सहायक जिला आबकारी अधिकारी के पद पर पदोन्नति उपरांत पदस्थापना स्थान में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

स. क्र. (1)	कर्मचारी का नाम, पदनाम तथा वर्तमान पदस्थापना (2)	पदोन्नति उपरांत नवीन संशोधित पदस्थापना (3)
5.	श्री पी.के. शुक्ला, आबकारी उप निरीक्षक, कार्यालय आबकारी आयुक्त (रा.स्तर.उ.द.) रायपुर.	सहायक जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय उपायुक्त आबकारी, जिला-रायपुर.

3. आदेश के शेष बिन्दु/कंडिका यथावत् रहेगी.

नया रायपुर, दिनांक 9 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 10-3/2017/वा.कर (आब.)/पांच.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री समुद्र सिंह, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, आबकारी विभाग को तत्काल प्रभाव से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत् वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अधीन प्रस्तावित नवीन सार्वजनिक उपक्रम, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी का प्रभार सौंपता है.

नया रायपुर, दिनांक 9 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 10-3/2017/वा.कर (आब.)/पांच.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत् वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अधीन प्रस्तावित नवीन सार्वजनिक उपक्रम, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल में तत्काल प्रभाव से, आगामी आदेश तक निम्नानुसार अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-3 में दर्शित पद का प्रभार सौंपता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम व पदनाम (2)	नवीन सार्वजनिक उपक्रम का निर्देशक मंडल (3)
1.	श्री ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग.	संयुक्त प्रबंध निदेशक

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मरियानुस तिग्गा, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 3 फरवरी 2017

क्रमांक 1466/भू-अर्जन/2017.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कोरबा	चचिया	6.82 ए.	धवननाला व्यपवर्तन योजना की नहर निर्माण हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 22-02-2017 को समय 12.00 बजे से स्थान-ग्राम पंचायत चचिया नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	धवननाला व्यपवर्तन योजना की नहर निर्माण हेतु
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	28 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	28 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना का कुल लागत	—	रु. 652.51 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	परियोजना से 300.00 हे. खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी. परियोजना से ग्राम पसरखेत, धौराभाठा एवं चचिया लाभान्वित होंगे.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय तथा उस पर होने वाला समावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा को राशि रुपये 5.00 लाख का भुगतान चेक क्र. 109459 दिनांक 24-12-2016 के माध्यम से किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 3 फरवरी 2017

क्रमांक 1512/भू-अर्जन/2017.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कोरबा	पसरखेत	8.83 ए.	धवननाला व्यपवर्तन योजना की नहर निर्माण हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 25-02-2017 को समय 12.00 बजे से स्थान-ग्राम पंचायत चचिया नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	धवननाला व्यपवर्तन योजना की नहर निर्माण हेतु
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	29 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	29 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना का कुल लागत	—	रु. 652.51 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	परियोजना से 300.00 हे. खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी. परियोजना से ग्राम पसरखेत, धौराभाठा एवं चचिया लाभान्वित होंगे.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय तथा उस पर होने वाला समावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा को राशि रुपये 5.00 लाख का भुगतान चेक क्र. 932499 दिनांक 14-12-2016 के माध्यम से किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाला अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुंद, दिनांक 26 फरवरी 2017

क्रमांक 07/अ-82/2015-16/224.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	बागबाहरा	सिवनीकला प.ह.नं. 45	5.96	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 26 फरवरी 2017

क्रमांक 08/अ-82/2015-16/214.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	बागबाहरा	सिवनी खुर्द प.ह.नं. 45	2.72	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 26 फरवरी 2017

क्रमांक 09/अ-82/2015-16/230.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	बागबाहरा	सोनामुंदी प.ह.नं. 45	4.78	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 26 फरवरी 2017

क्रमांक 11/अ-82/2015-16/212.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	बागबाहरा	बोडरीदादर प.ह.नं. 31	1.58	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 26 फरवरी 2017

क्रमांक 12/अ-82/2015-16/232.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	बागबाहरा	बांसकाटा प.ह.नं. 48	3.09	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 26 फरवरी 2017

क्रमांक 13/अ-82/2015-16/226.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	बागबाहरा	मातगुड़ा प.ह.नं. 45	5.00	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 26 फरवरी 2017

क्रमांक 14/अ-82/2015-16/228.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	बागबाहरा	कोमाखान प.ह.नं. 33	3.88	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 26 फरवरी 2017

क्रमांक 15/अ-82/2015-16/222.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	बागबाहरा	कुलिया प.ह.नं. 34	1.28	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 26 फरवरी 2017

क्रमांक 16/अ-82/2015-16/220.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	बागबाहरा	मनकी प.ह.नं. 46	1.08	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 26 फरवरी 2017

क्रमांक 17/अ-82/2015-16/209.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	बागबाहरा	खुर्सीपार प.ह.नं. 46	3.29	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 26 फरवरी 2017

क्रमांक 18/अ-82/2015-16/218.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	बागबाहरा	टेमरी प.ह.नं. 47	7.21	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 26 फरवरी 2017

क्रमांक 19/अ-82/2015-16/216.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	बागबाहरा	देवरी प.ह.नं. 52	5.48	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 26 फरवरी 2017

क्रमांक 20/अ-82/2015-16/206.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	बागबाहरा	करहीडीह प.ह.नं. 47	2.67	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 26 फरवरी 2017

क्रमांक 21/अ-82/2015-16/210.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	बागबाहरा	खट्टाडीह प.ह.नं. 47	3.46	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 1 मार्च 2017

क्रमांक 10/अ-82/2015-16/246.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	बागबाहरा	कोचर्रा प.ह.नं. 31	5.90	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 10 फरवरी 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	सेमरा प.ह.नं. 19	0.521	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कलमा बैराज निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 फरवरी 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	देवलसुर्रा प.ह.नं. 32	2.242	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेल मंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बालोद, दिनांक 13 जनवरी 2017

क्रमांक/192/1 अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-कवर्धा, प.ह.नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.021 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	710	0.021
योग		0.021

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-प्रदूषण नियंत्रण योजनांतर्गत पाईप लाईन बिछाने एवं स्कोन चेंबर निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 फरवरी 2017

प्र. क्रमांक 34/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-सिलादेही, प.ह.नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.80 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	2838/1	0.02
	2838/2	0.02
	2838/4	0.02
	2838/5	0.02
	2838/6, 2838/7	0.02
	2838/8	0.02
	2838/9	0.02
	2838/10	0.02
	2850	0.10
	2853/1	0.15
	2855/1	0.03
	2855/2	0.03
	2855/3	0.03
	2855/4	0.04
	2856/1	0.06
	2857/1	0.05
	2857/2	0.05
	2857/3	0.05
	2857/4	0.05
योग	19	0.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-निर्माणाधीन बसंतुपर बैराज के अंतर्गत डूब क्षेत्र के भू-अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 फरवरी 2017

प्र. क्रमांक 35/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-देवरानी, प.ह.नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.34 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1545	0.16
1546/1	0.10
1546/2	0.08
1557	0.10
1559/1	0.16
1559/2	0.11
1559/3	0.05
1559/4	0.05
1559/5	0.15
1559/6	0.05
1559/7	0.15

(1)	(2)	(1)	(2)
1559/8	0.16	1758/3	0.02
1559/9	0.05	1759/1	0.08
1559/10	0.05	1759/2	0.08
1581/1	0.06	1759/3	0.08
1581/2	0.06	1759/4	0.08
1582/1	0.05	1760	0.20
1582/2	0.05	1769/1	0.03
1582/3	0.05	1769/2	0.02
1583/1	0.10	1769/3	0.04
1583/2	0.09	1776/1	0.02
1584	0.15	1776/2	0.08
1585/1	0.06	1776/3	0.06
1585/2	0.06	1776/4	0.06
1586	0.08	1776/5	0.05
1587	0.08	1776/6	0.05
1707	0.10	1776/7	0.08
1710	0.10	1776/8	0.06
1711/1	0.07	1776/9	0.10
1711/2	0.04	1777	0.10
1712, 1713	0.10	1778/1	0.05
1715/1	0.05	1778/2	0.04
1715/2	0.01	1778/3	0.06
1715/3	0.02	1778/4	0.04
1716/1	0.01	1778/5	0.04
1717/1	0.03	1779/1	0.03
1717/2	0.03	1779/2	0.04
1748	0.10	1779/3	0.03
1749/1	0.03	1780/1	0.06
1749/2	0.03	1780/2	0.05
1749/3	0.03	1781	0.09
1749/4	0.03	1782/1	0.10
1755/1	0.10	1782/2	0.08
1755/2	0.05	1782/3	0.08
1755/3	0.04	1782/4	0.10
1755/4	0.04	1785/1	0.10
1755/5	0.04	1785/2	0.10
1755/6	0.03	1785/3	0.10
1756/1	0.14	1786/1	0.08
1756/2	0.20	1786/2	0.08
1756/3	0.12	1787	0.10
1757/1	0.05	1788/1	0.10
1757/2	0.05	1788/2	0.10
1758/1	0.02	1790/1	0.10
1758/2	0.02	1790/2	0.10

	(1)	(2)
	1791/1	0.08
	1791/2	0.05
	1792/1	0.04
	1792/2	0.04
योग	103	7.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-निर्माणाधीन बसंतुपर बैराज के अंतर्गत डूब क्षेत्र के भू-अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारती दासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)

दंतेवाड़ा, दिनांक 12 जनवरी 2017

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखिए)

क्रमांक/21/अ.वि.अ./स.प्रा./भू-अर्जन/2017.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दंतेवाड़ा की अधिसूचना क्रमांक 1747/अविअ/स.प्रा./भू-अर्जन/2015 दंतेवाड़ा, दिनांक 16-01-2015 द्वारा उक्त अधिसूचना में संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में औद्योगिक प्रयोजन हेतु अवशेषों को परिवहन हेतु भूमिगत पाईप बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

एवं उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 27-02-2015 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

एवं उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

एवं एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार राज्य सरकार के स्थान पर मेसर्स एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड किरन्दुल में निहित होगा और सभी विल्लंगमों से मुक्त होगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	बड़े बचेली	बेनपाल	निजी भूमि 79	निजी 0.024

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	बड़े बचेली	बेनपाल		निजी भूमि	निजी
				95	0.040
				102/1 टु क	0.348
			योग	**03**	**0.412**
				81	0.105
				102/1 टु ख	0.053
			योग	**02**	**0.158**
				93/1	0.024
				102/1टु ग	0.178
			योग	**02**	**0.202**
				102/1 टु घ	0.121
				102/1 टु च	0.079
				102/2 ग	0.186
				102/2 घ	0.178
			योग	**04**	**0.564**
		कुल योग		**11**	**1.354**
		पाढापुर		निजी भूमि	निजी
				123	0.138
				127	0.105
				124	0.166
			योग	**03**	**0.409**
				शासकीय भूमि	भूमि
				103	0.069
				113	0.017
				131	0.012
			योग	**03**	**0.098**
		कुलयोग		**06**	**0.507**
	महायोग	**02 ग्राम**		**17**	**1.861**

दंतेवाड़ा, दिनांक 12 जनवरी 2017

प्रारूप–घ
(नियम 6 देखिए)

क्रमांक/23/अ.वि.अ./स.प्रा./भू-अर्जन/2017.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दंतेवाड़ा की अधिसूचना क्रमांक 819/अविअ/स.प्रा./भू-अर्जन/2011 दंतेवाड़ा, दिनांक 11-05-2011 द्वारा उक्त अधिसूचना में संलग्न सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में औद्योगिक प्रयोजन हेतु अवशेषों को परिवहन हेतु भूमिगत पाईप बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

एवं उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 08-07-2011 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

एवं उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

एवं एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार राज्य सरकार के स्थान पर मेसर्स एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड किरन्दुल में निहित होगा और सभी विल्लंगमों से मुक्त होगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	बड़े बचेली	किरन्दुल/07	निजी भूमि	निजी
			44	0.040
			45/1	0.136
			49/1	0.036
			51/1	0.280
			73	0.089
			72/2	0.036
			92/1	0.012
		योग	**07**	**0.629**
			शासकीय भूमि	भूमि
			41	0.048
			42	0.036
			68	0.008

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	बड़े बचेली	किरन्दुल/07	निजी भूमि	निजी
			69	0.256
			93	0.012
		योग	**05**	**0.360**
		कुल योग	**12**	**0.989**
		कोड़ेनार/07	निजी भूमि	निजी
			16	0.128
			66	0.062
			70	0.025
			58	0.085
			59/3	0.085
			74	0.056
			61	0.065
			75	0.028
			53	0.050
			54	0.100
			55	0.035
			64	0.105
			67	0.020
			56/2	0.045
			56/1	0.040
		योग	**15**	**0.939**
			शासकीय भूमि	भूमि
			1/125	0.012
		योग	**1**	**0.012**
		कुल योग	**16**	**0.951**
	महायोग	**02 ग्राम**	**28**	**1.940**

दिलीप कुमार अग्रवाल,
सक्षम अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).